क्रम-संख्या–190

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2016

भाद्रपद 25, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1403/79-वि-1–16-1(क)-26-2016
लखनऊ, 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 पर दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, विधान परिषद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, न्यासों, मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा न्यायमूर्तिगण को राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन को विनियमित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।

परिभाषायें

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(क) 'आवंटन' का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भवन के अध्यासन के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किये जाने से है;

(ख) 'राज्य सम्पत्ति अधिकारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पदा के प्रभारी अधिकारी से है;

(ग) 'लखनऊ' का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र से है;

(घ) 'आवास' का तात्पर्य राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन किसी भवन एवं उसके परिसर से है;

(ङ) 'अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत लखनऊ में कार्यरत राज्य सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवा के सदस्य या न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं;

(च) 'प्रकार' का तात्पर्य धारा–3 में यथा उल्लिखित भवनों के प्रकार से है;

(छ) 'किराया' का तात्पर्य ऐसी धनराशि से है जो किसी व्यक्ति को आवंटित निवास स्थान के अध्यासन के कारण उसे संदेय हो;

(ज) 'न्यास' का तात्पर्य ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों के नाम से सामाजिक कार्य के लिए स्थापित न्यास अथवा उनके आदर्शों, सिद्धांतों एवं सामाजिक कार्यों को अग्रसर करने के लिए कार्यरत न्यास से है, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत हो;

(झ) 'सोसाइटी' का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन पंजीकृत हो और वे सामाजिक कल्याण एवं सार्वजनिक हित के क्षेत्र में कार्यरत हों;

(ञ) 'राजनैतिक दल' का तात्पर्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दल से है;

(ट) 'मंत्री'/'पूर्व मुख्यमंत्री' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 के अधीन परिभाषित किसी 'मंत्री' या 'पूर्व मुख्यमंत्री' से है;

(ठ) 'कर्मचारी संघ' का तात्पर्य ऐसे किसी कर्मचारी संघ से है जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसका मुख्यालय लखनऊ में हो ;

(ड) 'पत्रकार' का तात्पर्य ऐसे किसी सम्पादक, उप-सम्पादक या पत्रकार से है जिसे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय स्तर से मान्यता प्रदान की गयी हो, जो पूर्णकालिक रूप से लखनऊ में सेवारत हो तथा जिसके समाचार-पत्र का कार्यालय लखनऊ में हो;

(ढ) 'अनधिकृत अध्यासन' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 में यथापरिभाषित अनधिकृत अध्यासन से है।

भवनों के प्रकार

3–राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के प्रकार निम्नवत् हैं:–

(1) प्रकार–एक

(2) प्रकार –दो

(3) प्रकार –तीन

(4) प्रकार –चार

(5) प्रकार –पॉच

(6) प्रकार –छः

(7) प्रकार –सात

आवंटन की पात्रता

4–विधान सभा के सदस्यों एवं विधान परिषद के सदस्यों हेतु चिन्हित भवनों से भिन्न राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन की पात्रता निम्नानुसार होगी:–

क्रमांक	भवनों के प्रकार	आवंटन की पात्रता
01	प्रकार –1	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'घ' के कर्मचारी।
02	प्रकार –2	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'ग' के अराजपत्रित कर्मचारी।
03	प्रकार –3	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'ग' के राजपत्रित कर्मचारी।
04	प्रकार –4	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'ख' के अधिकारी/न्यायिक सेवा के अधिकारी, पत्रकार, सोसाइटी, मान्यता प्राप्त संघ।
05	प्रकार –5	मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री, न्यायिक सेवा के अधिकारी तथा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'क' के अन्य अधिकारी और उत्तर प्रदेश में कार्यरत न्यास और राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य ।
06	प्रकार –6 एवं 7	मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण तथा उत्तर प्रदेश में कार्यरत न्यास।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) समूह–'ख' के अधिकारियों का तात्पर्य सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों या समकक्ष वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों से है।

(ख) समूह–'क' के अधिकारियों का तात्पर्य सचिवालय में कार्यरत संयुक्त सचिव, विशेष सचिव या सचिव या समकक्ष वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों से है।

(ग) वरिष्ठ अधिकारी का तात्पर्य प्रमुख सचिव या समकक्ष वेतनमान या उच्चतर वेतनमान में कार्यरत किसी अधिकारी से है।

आवंटन करने की शक्ति

5–प्रकार 1 से 4 तक के भवनों का आवंटन राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा तथा प्रकार 5 से 7 तक के भवनों का आवंटन प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग के पूर्वानुमोदन से राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

आवंटन की अवधि

6–(1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन का आवंटन उनके लखनऊ में तैनात रहने की अवधि तक के लिए किया जाएगा। स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की दशा में आवंटितियों को अध्यासित आवास को उनके स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर रिक्त करना होगा।

(2) न्यासों से भिन्न अन्य आवेदकों को भवन का आवंटन दो वर्ष के लिए किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा उसके नवीकरण पर एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटन हेतु विचार किया जाएगा।

(3) किसी न्यास को भवन का आवंटन अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा तथा न्यास द्वारा आवेदन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अग्रतर अधिकतम पाँच वर्ष तक के लिए नवीकरण किया जा सकता है।

किराये का निर्धारण

7–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आवंटित किये गये भवनों का किराया, न्यास और सोसाइटी के मामले में बाजार दर से प्रभारित किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों, राजनैतिक दलों, पूर्व मुख्यमंत्री, कर्मचारी संघ एवं पत्रकारों को यथाविहित दर से प्रभारित किया जाएगा।

भवनों की बेदखली

8–सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनीतिक दलों, सोसाइटियों, न्यासों, कर्मचारी संगठनों तथा पत्रकारों द्वारा अनधिकृत अध्यासन को, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 के उपबन्धों के अधीन खाली कराया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति

9–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

10–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कालावधि जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्य और कारण

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के भवनों के आवंटन, राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, विधान परिषद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, न्यासों, मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा न्यायमूर्तिगण को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कार्यकारी नियमों के उपबन्धों और कतिपय मामलों में सांविधिक नियमों और अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन अब तक किये जाते रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए कोई पृथक् विधि नहीं है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त भवनों के आवंटन को विनियमित करने के लिए एक विधि बनायी जाय।

तदनुसार राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1403(2)/LXXIX-V-1–16-1(ka)-26-2016
Dated Lucknow, September 16, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Rajya Sampatti Vibhag Ke Niyantranadhin Bhawanon Ka Avantan Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 14, 2016.

THE ALLOTMENT OF HOUSES UNDER CONTROL OF THE ESTATE DEPARTMENT ACT, 2016

(U.P. Act no. 23 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to regulate the allotment of houses under the control of Estate Department to the employees and officers of the State Government, Employees association, political parties, journalists, officers of All India Service/judicial service, Member of Legislature Council, Member of Legislature Assembly, Trusts, Ministers, Chairman/Deputy Chairman of Legislative Council, Speaker/Deputy Speaker of Legislative Assembly and Justices.

IT IS HERRBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Allotment of Houses under the Control of the Estate Department Act, 2016;

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "Allotment" means to authorise a person to occupy a house under the provisions of this Act;

(b) "Estate Officer" means the Officer-in-charge of Estates to the Government of Uttar Pradesh;

(c) "Lucknow" means the area within the jurisdiction of Nagar Nigam Lucknow;

(d) "Residence" means a house and its premises under control of the Estate Department;

(e) "Officer" means an officer or employee of the State Government and includes a member of All-India Service working under the State Government or a member of judicial service working at Lucknow;

(f) "Type" means a type of houses as mentioned in section-3;

(g) "Rent" means the amount payable by a person on account of occupation of a residence alloted to him;

(h) "Trust" means a trust established for social work in the name of renowned person or a trust working for a furtherance of ideals, principles and their social works which is registered under the Indian Trust Act, 1882;

(i) "Society" means a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 and are working in the field of social welfare and public interest;

(j) "Political Party" means a party recognized by the Election Commission of India ;

(k) "Minister"/"Former Chief Minister" means a minister or a former Chief Minister defined under the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981;

(l) "Employees Association " means an Employees Association which is recognized by the State Government and the head quarter of which is at Lucknow;

(m) "Journalist" means an editor, a sub-editor or a journalist who has been recognized by Information and Public Relations Department from State headquarter level which is serving at whole time worker and the office of the newspaper of which is at Lucknow;

(n) "Unauthorised Occupation" means the unauthorised occupation as defined in the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972 and the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Certain Unauthorised Occupants) Act, 2010;

Type of Houses

3. The type of Houses under control of the Estate Department are as follows:-

(1) Type-i

(2) Type-ii

(3) Type-iii

(4) Type-iv

(5) Type-v

(6) Type-vi

(7) Type-vii

Eligibility for allotment

4. The eligibility for allotment of houses under control of the Estate Department except the houses earmarked for the Members of Legislative Assembly and Members of Legislative Council, shall be as follows:-

Sl. no.	Type of Houses	Eligibility for allotment
01	Type-1	Group-"D" employees working under the State Government.
02	Type-2	Group-"C" Non gazetted employees working under the State Government .
03	Type-3	Group-"C" Gazetted employees working under the State Government.
04	Type-4	Group-"B" officers working under the state Government /Officers of judicial services, journalist, society, recognized association.
05	Type-5	Minister/State Minister/Deputy Minister, officers of the judicial service and other officers of Group-"A" working under the State Government and the trust working in Uttar Pradesh, Chairman/Member of various statutory commissions under the State Government.
06	Type-6 and 7	Minister, Former Chief Minister, justices of High Court, senior officers, officers of the higher judicial services and the trust working in Uttar Pradesh.

Explanation:–For the purposes of this section:-

(a) Group-"B" officers means the Section Officers working in the Secretariat or a gazetted officers of the State Government working in the equivalent pay scale.

(b) Group-"A" officers means a Joint Secretary, Special Secretary or Secretary working in the Secretariat or officers of the State Government working in the equivalent pay scale.

(c) Senior officer means the Principle Secretary or any officer working in the equivalent pay scale or higher pay scale.

Power to allot

5. Type-1 to 4 Houses will be alloted by the Estate Officer and type-5 to 7 houses will be alloted by the Estate Officer with the prior approval of Principle Secretary/Secretary of the Estate Department .

Period of allotment

6. (1) The allotment of Houses to Officers of All India Service, officers of Judicial Service and officers /employees of the State Government shall be allotted for the period of their posting at Lucknow. In the case of transfer/retirement the Allottees shall vacate the residence occupied by them within 30 days from the date of their transfer/retirement.

(2) Allotment to other applicants except trust shall be made for a period of two years and the renewal thereof shall be considered by the State Government for allotment for a period of one year at a time.

(3) The allotment of House to a trust will be made for a maximum period of 05 years and the renewal for a further maximum period of five years may be made by the State Government on an application made by the trust.

Rent assessment

7. The rent of the houses alloted under the provisions of this Act shall be charged at market rate in the case of trust and society, and in case of Government employees/officers, political parties, former chief minister, employees association and journalist shall be charged at such rate as may be prescribed.

Eviction of Houses

8. The unauthorised occupation by Government officers, employees, political parties, society, trust, employee associations and journalist shall be evicted under the provisions of Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972 and the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Certain Unauthorised Occupants) Act, 2010 as the case may be.

Power to make rules

9. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to remove difficulties

10. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may , for removing such difficulty, by order published in the *Gazette*, direct that the provision of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adoptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient,

(2) No order under the sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The allotment of various types of houses under the control of Estate Department are being made to the employees and officers of the State Government, Employees associations, political parties, journalists, officers of All India Service/judicial service, Member of Legislative Council, Member of Legislative Assembly, Trusts, Ministers, Chairman/Deputy Chairman of Legislative Council, Speaker/Deputy Speaker of Legislative Assembly and Justices under the provisions of executive rules and in certain cases under the provisions of statutory rules and Acts by the Estate Department as yet. There is no separate law for this purpose. It has, therefore, been decided to make a law to regulate the allotment of the said houses.

The Allotment of Houses under Control of the Estate Department Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,

RANG NATH PANDEY,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 399 राजपत्र (हि0)–2016–(955)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 93 सा0 विधायी–19–9–2016–(956)–300 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / आफसेट)।